[भारत के राजपत्र के भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2024

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (प्रयोगशाला तकनीशियन) भर्ती नियम 1986 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य औऱ परिवार कल्याण मंत्रालय में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -**)1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 2024 है।

)2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल** –उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम)2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम)5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – ऐसा व्यक्ति –**

   क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं,

   ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या.	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद	184* (2024(1. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अहमदाबाद- 8 2. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बैंगलुरू - 5 3. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भोपाल - 1 4. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भुवनेश्वर- 3 5. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चंडीगढ़ - 3 6. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चैन्ने - 10 7. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली -60 8. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, गुवाहाटी -4 9. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद- 14 10. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर- 3 11. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर-11 12. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर-5 13. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकाता - 8 14. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ - 11 15. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपित्रत अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400रु.) में लेवल 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। नोट: आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी और न कि असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और तथा चंबा जिले के पांगी उप प्रभाग और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि। नोट 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम की गई भर्ती के मामले में आयु-सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	(अनिवार्य अर्हताएं) : i. विज्ञान विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, और ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक की डिग्री, और iii. किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद के रूप में 2 वर्ष का अनुभव नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यता में छूट दी जा सकती है। नोट 2: यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन

	-3 16. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई -14 17. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर-3 18. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना -6 19. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे-7 20. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, प्रयागराज-3 21. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, रांची -2 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					आयोग या सक्षम प्राधिकारी का मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदाय के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिनके पास अपेक्षित अनुभव है तो इन समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किन ग्रेडों से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसका संरचना	भर्ती के समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष। नोट: केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम-से- कम दो सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य इंडक्शन प्रशिक्षण होगा।	80% सीधी भर्ती द्वारा और 20% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	उन कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविदों से पदोन्नति द्वारा, जिन्होने उस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार किए जाने हेतु) में निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. अपर निदेशक, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर या अपर निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय)-अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर-सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर या संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर के अपर निदेशक द्वारा नामित संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर का समूह 'क' अधिकारी-सदस्य	लागू नहीं

[फा.स.ए-12018/04/2023-सीजीएचएस-I]

(राजेंद्र सिंह सिद्धू)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नई दिल्ली।